सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

पीठासीन अधिकारी : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
27/2017	धारा 212 RTA	20.06.2017	19.12.2017

परमानन्द पुत्र दोलाराम जाति मेघवंशी (मेघवाल) निवासी वार्ड नं. 4, चूरू तहसील व जिला चूरू

—प्रार्थी—

बनाम

1. नोरंगराम पुत्र बख्ताराम जाति मेघवाल निवासी झारिया तहसील व जिला चूरू
2. तहसीलदार साहब, चूरू

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता श्री हकीमअहमद खां प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह न्यौल अप्रार्थी सं. 1

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान का दावा श्रीमान् जी के न्यायालय में को पेश कर दिया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी पूरी आशा है। यह कि प्रार्थी चूरू का निवासी है प्रार्थी का खातेदारी खेत ख.नं. 809/627 रकबा 13 बीघा 9 विश्वा ग्राम आसलखेड़ी पटवार हल्का झारिया तहसील चूरू में स्थित है प्रार्थी अपने खेत में आने जाने हेतु झारिया से खींवासर को जाने वाला रास्ते से होकर खेत ख.नं. 155 की उतरी सींव से लगे रास्ते से होकर अपने खेत में करीब 50 साल से आना जाना व उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है खेत ख.नं. 155 के खातेदार अप्रार्थी सं. 1 नोरंगराम मेघवाल है। यह कि प्रार्थी का खेत आसलखेड़ी की रोही में स्थित है तथा अप्रार्थी सं. 1 का खेत झारिया की रोही में स्थित है मगर प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों एक दूसरे के उत्तर—पूर्वी दिशा के पड़ौसी हैं। प्रार्थी झारिया से खींवासर को जाने वाले रास्ते से चलकर अप्रार्थी के जाने वाले रास्ते खेत ख.नं. 155 की उतरी सींव के अन्दर से वर्षों से कायम रास्ते से आना जाना करता आ रहा है। प्रार्थी का यह रास्ता अप्रार्थी की उतरी सींव में होकर प्रार्थी के खेत में जाता है इसलिए अप्रार्थी के कोई असुविधा नहीं है। यह कि प्रार्थी उक्त रास्ते से होकर अपने खेत में 50 वर्षों से चल कर अपने खेत में आना जाना करता चला आ रहा है इसलिए प्रार्थी को अपने खेत आने जाने हेतु सिविल राईट्स प्राप्त हो गये हैं।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि प्रार्थीको अपने खेत में जाने हेतु यही एक (मार्ग) रास्ता है जिससे वर्षों से आना जाना व उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है अप्रार्थी सं. 1 ने मार्च 2017 को प्रार्थी को जुबानी तौर पर मना किया कि आप मेरे खेत की सींव में से अपने खेत में आना जाना नहीं करें आज तक तो आप आते जाते रहे हैं मगर अब आगे से आना जाना नहीं करें। इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार, चूरू को दिनांक 17.03.17 को एक प्रार्थना पत्र पेश शिकायत की थी अप्रार्थी सं. 1 नोरंगराम ने मुझे वर्षों से कायम रास्ते से अपने खेत में आने जाने से मना कर रहा है तथा एलानिया धमकी दी कि आगे से मेरे खेत की सींव में से स्थित रास्ते से आना जाना नहीं करें अन्यथा मैं जबरदस्ती रोक दूंगा। तहसीलदार, ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट मांगी थी मगर आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है कोई कार्यवाही नहीं है। यह कि प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता झारिया से खींवासर जाने वाले रास्ते से होकर अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.नं. 155 की उतरी सींव के अन्दर से जाने वाला रास्ता है इसी रास्ते से होकर प्रार्थी अपने खेत आना जाना करता है। उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है अगर अप्रार्थी नोरंगराम ने अगर वर्षों पुराने रास्ते को रोक दिया तो प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने का एकमात्र रास्ता बन्द हो जायेगा तो प्रार्थी को घोर असुविधा होगी तथा उसका खेत में आना जाना अवरूद्ध हो जायेगा तो उसको हमेशा के लिए हानि होगी तथा उसके सिविल राईट्स जो उसे वर्षों से अपने खेत में आने जाने हेतु प्राप्त हैं वो समाप्त हो जावेंगे। अप्रार्थी का प्रार्थी के एकमात्र वर्षों से स्थित रास्ते को रोकने का कानूनी अधिकार नहीं है।

यह कि प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 17.03.17 को अपने खेत आने जाने हेतु ख. नं. 155 की उतरी सींव में से होकर रास्ते से आने जाने हेतु मना किया इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध दिनांक 17.03.17 से कॉज ऑफ हासिल है। यह कि प्रार्थी सदामत से उक्त रास्ता से आवागमन करता आ रहा है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिय क्षति प्रार्थी के हक में बखूबी साबित हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि फैसला दावा अप्रार्थी नोरंगराम को वर्जित फरमाया जावे कि प्रार्थी को अपने खेत ख.नं. 809/627 में आने जाने हेतु ख.नं. 155 की उतरी सींव में से स्थित रास्ते में से होकर आने जाने हेतु नहीं रोके, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रार्थी को अपने खेत में जाने हेतु व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। ना ऐसा कोई कार्य या उपकार्य करे जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़ता हो।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री महेन्द्रसिंह न्यौल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी ने दिनांक 12.07.17 को प्रार्थना पत्र पेश कर वादगत कृषि भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। प्रा0पत्र की प्रति वकील प्रार्थी को जवाब हेतु दी जाकर जवाब लिया गया। वकील प्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर प्रा0पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं वकील उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहसे के तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रार्थी परमानन्द के खेत में आने जाने का कोई रास्ता अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.नं. 155 में से होकर कभी भी नहीं रहा है और न ही आज है। अप्रार्थी ने अपने खेत के चारों तरफ बाड़ काफी वर्षों से कर रखी है जो आज भी मौके पर मौजूद है। प्रार्थी अपने खेत में अप्रार्थी के खेत

उपखण्ड अधि
चूरू

में से होकर कभी नहीं गया। इसलिए मौके की रिपोर्ट मंगवाई जावे जिससे सही स्थिति सामने आ सके तथा दोनों के साथ सही न्याय हो सके। प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए प्रार्थी ने अंकित किया कि प्रार्थी का रास्ता अप्रार्थी के खेत की उतरी सींव से होकर ही जाता है। प्रार्थी ख.नं. 155 की उतरी सींव से होकर पगडंडी से अपने खेत में आना जाना करता है। अप्रार्थी ने सही तथ्यों को छुपाकर बरसों पुराने रास्ते को जबरदस्ती रोकने के लिए तथा अप्रार्थी महज एडीशनल ईवीडेन्स क्रियेट करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कानून सम्मत नहीं होने से खारिज किया जावे। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में माननीय न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2012(2) आर.आर.टी. 1114 पेश किया जिसका ससम्मान अवलोकन किया जाकर प्रार्थी के मूल दावा का भी अवलोकन किया गया जिसमें वादी ने अपने खातेदारी खेत ख.नं. 809/627 रोही ग्राम आसलखेड़ी में आने जाने के लिए प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी खेत ख.नं. 155 रोही ग्राम झारिया की उतरी सींव के पास से रास्ते की घोषणा की जाकर रास्ता कायम करने की मांग की है। प्रार्थी का मूल दावा अन्तर्गत धारा 251 ए, 88, 92 ए आरटीए का पेश किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधान बिन्दुवार रिपोर्ट एवं विस्तृत प्रस्ताव मंगवाने बाबत किया गया है। इसलिए इस प्रकार की सम्मरी प्रोसीडिंग के प्रार्थना पत्र में मौका रिपोर्ट मंगवाने का कोई औचित्य नहीं होने से अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत मौका रिपोर्ट का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में दावा पेश किया जाना स्वीकार है लेकिन दावे में किसी प्रकार की सफलता मिलना सम्भव नहीं है। दावा खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थी का चूरू का निवासी होना व खातेदारी खेत खसरा नम्बर 809/627 ग्राम आसलखेड़ी में होना स्वीकार है शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार किये जाते हैं। प्रार्थी खेत खसरा नं. 155 की उतरी सींव या खसरा नं. 155 के अन्दर से कभी भी अपने खातेदारी खेत नहीं गया, ना वर्तमान में जा रहा है। खेत खसरा नं. 155 जो झारिया की रोही में स्थित है जिसके खातेदार नोरंगराम मेघवाल है जो अपने खातेदारी में बाड़ कर रखी है जो खसरा नं. 155 के बीचों बीच उत्तर दक्षिण ग्रेवल सड़क बनी हुई है। इसके अलावा राजस्व नक्शा में भी कोई रास्ता या पगडंडी खेत खसरा नं. 155 में नहीं है जो राजस्व नक्शा साथ में संलग्न है। यह कि प्रार्थी का खेत ग्राम आसलखेड़ी की रोही में तथा अप्रार्थी का खेत ग्राम झारिया की रोही में स्थित होना तथा आपस में एक दूसरे के चिपते हुए पड़ौसी होना स्वीकार है शेष तथ्य अस्वीकार किये जाते हैं ग्राम झारिया से खींवासर आम ग्रेवल सड़क है जो राजस्व नक्शा में अंकित की हुई है। प्रार्थी कभी भी झारिया से खींवासर जाने वाली सड़क जो ख.नं. 155 से होकर गुजरती है, में आज तक नहीं आया है ना ही आना जाना करता है। अप्रार्थी के खेत ख.नं. 155 के उत्तरी तरफ की सींव में कोई रास्ता ना तो आज तक रहा है और ना ही वर्तमान में है। अप्रार्थी ने अपने खेत के चारों तरफ बाड़ कर रखी है अगर प्रार्थी खसरा नं. 155 में नया रास्ता कायम करता है तो अप्रार्थी को घोर अपूर्तिय क्षति होगी तथा प्रार्थी के खेत की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जायेगी।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 जिस प्रकार से लिखी गई है सही नहीं होने से अस्वीकार की जाती है। प्रार्थी कभी भी खसरा नं. 155 के उत्तरी तरफ की सींव से या अप्रार्थी के खेत में से अपने खेत में नहीं गया, ना ही किसी अन्य दिशा से अपने खेत में गया। अगर प्रार्थी को काफी वर्षों से आने जाने से सिविल अधिकार उत्पन्न हो गये तो प्रार्थी को दीवानी न्यायालय में अपने अधिकार तय कराने के लिए जाना चाहिए था अगर सिविल अधिकारों को तय कराना है तो राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

न्यायालय में क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 में वर्णित समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार किये जाते हैं। प्रार्थी कभी भी खसरा नं. 155 में से होकर अपने खातेदारी खेत में नहीं गया, ना ही वहां पर कोई पगडंडी है। ना प्रार्थी का उपयोग व उपभोग रहा। प्रार्थी मार्च, 2017 को अप्रार्थी से इससे सम्बन्धित कोई बात नहीं हुई। इसलिए प्रार्थी ने मनघड़न्त एक कहानी बनाई है अगर किसी तरह की बात हुई होती तो निश्चित तारीख बताता इसकी निश्चित तारीख नहीं होने से उसे किसी प्रकार का कॉज ऑफ एक्शन नहीं हुआ है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.03.2017 को एक शिकायत प्रार्थना पत्र देने बाबत बताया है अगर प्रार्थी किसी प्रकार से उसको खेत में जाने से रोकता है तो कोई ना कोई कार्यवाही जरूर होती। मौके पर कोई विवाद होता, कोई गवाह भी होता लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा थाने में कोई शिकायत नहीं की गई है इसलिए यह सम्पूर्ण बात मनघड़न्त व काल्पनिक है। तहसीलदार को मात्र अवरूद्ध रास्ता खुलवाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया था अगर अप्रार्थी रास्ता अवरूद्ध करता तो अप्रार्थी के खिलाफ अतिक्रमण की कार्यवाही होती लेकिन तहसीलदार महोदय ने मौके के अनुसार ना राजस्व रेकार्ड में रास्ता है ना ही मौके पर रास्ता है। इसलिए प्रार्थी को बार बार समझाया लेकिन प्रार्थी उंची पहुंच वाला होने के कारण तहसीलदार पर राजनैतिक प्रभाव डाल रहा है जिस कारण तहसीलदार महोदय ने आज तक उस प्रार्थना पत्र को खारिज नहीं किया। इस प्रार्थना पत्र में तहसीलदार से नया रास्ता कायम हेतु भी मांग नहीं की गई है इसलिए यह अस्थाई प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 में वर्णित समस्त तथ्य गलत लिखे है जो अस्वीकार किये जाते हैं। खसरा नं. 808, 809, 807 व 806 यह सम्पूर्ण खसरा नं. पहले एक ही रकबा था जिसे आपसी भाई बंटवारे में इस रकबा को तोड़कर अलग अलग खसरा नं. कायम हो गये। वर्तमान में सभी खसरा नं. के खातेदार सदामत से झारिया से खींवासर जाने वाली आम सड़क से जोहड़ की भूमि में अलग होकर बनवारीलाल पुत्र कुरड़ाराम के खेत में होते हुए प्रार्थी व उसके भाई एवं अन्य लोग जाते रहे हैं और वर्तमान में भी जाते हैं। प्रार्थी के मन में लालच आ जाने से व ग्रेवल सड़क बन जाने के कारण अप्रार्थी को तंग परेशान करने की नीयत से प्रार्थी जबरदस्ती रेकार्ड के विपरीत खसरा नं. 155 से रास्ते की मांग कर रहा है जो सही नहीं है। रास्ता की मांग वहीं से करनी चाहिए थी लेकिन प्रार्थी ने जानबूझकर अपने प्रभाव का गलत उपभोग कर अप्रार्थी को तंग परेशान कर रहा है, जिस कारण यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 7 जिस प्रकार से लिखी गई है सही नहीं होने से अस्वीकार की जाती है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.03.2017 को कॉज ऑफ एक्शन होना बताया है जो काफी देरीना हो गया है, जो मियाद बाहर है। अगर इस दिनांक को अप्रार्थी द्वारा मना करना बताया जाता है तो मियाद में न होने की वजह से खारिज किया जावे। अंगर प्रार्थी का रास्ता अवरूद्ध किया गया तो वर्तमान में राजस्व कैम्प लगे थे उसमें पूरा प्रशासन वहां मौके पर मौजूद था वह अपना रास्ता कायम करा सकता था लेकिन मौके पर किसी प्रकार का रास्ता न होने की वजह से वह चुप रहा था। प्रार्थी इस अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में अप्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से खसरा नं. 155 में से जानबूझकर रास्ता कायम करवाना चाहता है जिसका वह किसी प्रकार से अधिकारी नहीं है, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रा0पत्र की मद सं. 8 जिस प्रकार से लिखी गई सही नहीं होने अस्वीकार की जाती है। प्रार्थी ने खेत ख.नं. 155 में से कभी भी आवागमन नहीं किया, ना ही राजस्व नक्शा में कोई पगडंडी अंकित है, ना अप्रार्थी ने प्रार्थी का रास्ता अवरूद्ध किया। प्रार्थी का रास्ता सदामत से ख.नं. 124 में से चला आ रहा

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

है जिससे उनके भाई वगैरा आवागमन करते हैं। खेत ख.नं. 155 में कभी भी रास्ता नहीं रहा। अप्रार्थी ने अपने खेत के चारों तरफ पट्टियां रोपकर तारबन्दी कर रखी है, इसलिए प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब के साथ स्वयं एवं बाबूलाल पुत्र मालाराम धाणक, भागाराम पुत्र तिलोकाराम मेघवाल, खुमाराम पुत्र भगवानाराम मेघवाल, भोजराज पुत्र अमराराम जाट, सोहनराम पुत्र बुद्धाराम मेघवाल समस्त निवासीगण ग्राम झारिया के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

वकील प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसकी प्रति वकील अप्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने अपन लिखित बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपने खेत में आवागमन का एकमात्र रास्ता ख.नं. 155 में से होकर वर्षों पुराना बताया है तथा यह भी कथन किया है कि यदि अप्रार्थी उक्त रास्ते को बन्द कर देता है तो प्रार्थी अपने खेत में नहीं जा पायेगा जिससे उसके खेत में खड़ी फसल खराब हो जायेगी जिससे प्रार्थी को हजारों रूपयों का नुकसान हो जायेगा। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति के सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित हैं। साथ ही वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के अनवानी हेमराज बनाम रेवेन्यू बोर्ड आदि में निर्णय दिनांक 6 जुलाई, 2012 का न्यायिक दृष्टान्त पेश करते हुए अंकित किया कि उक्त प्रकरण प्रार्थी के खेत से सम्बन्धित सैम मामला था जिसमें एस.डी.ओ. ने रास्ते को कायम रखा था उसके विरूद्ध रेवेन्यू बोर्ड से मामला माननीय हाई कोर्ट में पहुंचा तो माननीय हाई कोर्ट ने एस.डी.ओ. के फैसले को कायम रखा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ता फैसला दावा अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वो प्रार्थी को उसके खेत में आने जाने से नहीं रोके तथा प्रार्थी को अपने खेत के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे, ना ही कोई ऐसा कार्य या उपकार्य करे जिससे प्रार्थी के खेत में आने जाने के रास्ते पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता हो।

वकील अप्रार्थी ने अपनी मौखिक बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी का खेत ग्राम असालखेड़ी में एवं अप्रार्थी का खेत ग्राम झाारिया की रोही में स्थित हैं। अप्रार्थी के खेत ख.नं. 155 के बीचों बीच से ग्राम झारिया से खींवासर को जाने वाली ग्रेवल सड़क बनी हुई है परन्तु अप्रार्थी के खेत की उतरी सींव के पास से या अन्य किसी जगह कोई रास्ता न तो पहले कभी भी रहा है और न ही आज है। प्रार्थी ने अपने खेत के चारों तरफ पट्टियां रोपकर तारबन्दी व बाड़ कर रखी है। प्रार्थी अपने खेत में अप्रार्थी के खेत ख.नं. 155 में से होकर कभी नहीं गया। प्रार्थी को कोई रास्ता अप्रार्थी के खेत में से नहीं रहा है। जहां तक प्रार्थी के सिविल राईट्स का प्रश्न है तो प्रार्थी इस न्यायालय से सिविल राईट्स प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी को अपने सिविल राईट्स प्राप्त करने के लिए सिविल न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी व उसके भाईयों एवं अन्य लोगों का अपने अपने खेतों में आने जाने हेतु रास्ता बनवारीलाल पुत्र कुरड़ाराम के खेत में से रहा है परन्तु प्रार्थी के खेत में से सड़क बन जाने से प्रार्थी ने लालच में आकर एवं अप्रार्थी को नाहक तंग व परेशान करने के लिए उक्त नये रास्ते की मांग की है जिसको प्राप्त करने का वह कानूनन रूप से अधिकारी नहीं है। वादगत खेत ख.नं. 155 अप्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिससे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष का न होकर अप्रार्थी के पक्ष का बनता है। यदि प्रार्थी को अप्रार्थी के खेत पर

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अस्थाई निषेधाज्ञा दी जाती है तो अप्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जिससे अप्रार्थी को अपूर्तिय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस के तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। छाया प्रति जमाबन्दी ग्राम आसलखेड़ी सम्वत् 2071 से 2074 के ख.नं. 809/627 तादादी 13.09 बीघा में वर्तमान में प्रार्थी परमानन्द पुत्र दौलाराम उर्फ दौलतराम कौम मेघवंशी सा. चूरू खातेदार अंकित है। छाया प्रति अक्स ग्राम आसलखेड़ी व झारिया जो दो नकलों को जोड़कर छाया प्रति करवाई गई प्रतीत होती है जिसमें लाल स्याही से ख.नं. 155 के मध्य से गुजर रही सड़क से ख.नं. 155 की उतरी सींव के पास से प्रार्थी के खेत ख.नं. 809/627 में जाने का रास्ता दर्शित किया गया है। छाया प्रति प्रार्थना पत्र जो प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, चूरू को दिनांक 17.03.2017 को दिया गया है तथा तहसीलदार, चूरू ने पृष्ठांकन करते हुए पटवारी हल्का झारिया को मौके पर जाकर जांच कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट अविलम्ब पेश करने हेतु लिखा है। अप्रार्थी द्वारा पेश जवाब के साथ वादगत कृषि भूमि के वाकिफ एवं पड़ौसी खातेदारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का भी अवलोकन किया गया। उक्त शपथ पत्रों में सभी गवाहान, जो वादगत कृषि भूमियों के पड़ौसी एवं जानकारी रखने वाले खातेदार हैं, ने सशपथ अंकित किया है कि प्रार्थी के खेत में आवागमन का रास्ता बनवारीलाल पुत्र कुरड़ाराम के खेत से होते हुए जाता है। प्रार्थी को हमने नोरंगराम के खेत ख.नं. 155 में से होकर अपने खेत में आते जाते कभी भी नहीं देखा। ग्रेवल सड़क बनने के बाद परमानन्द ने लालच में आकर नोरंगराम के विरूद्ध यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है।

उपरोक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थना पत्र का मूल बिन्दु प्रार्थी को अपने खेत ख.नं. 809/627 में आने जाने के रास्ते सम्बन्धी है जिसके लिए प्रार्थी ने उक्त अनुवानी दावा भी न्यायालय में पेश कर रखा है। प्रार्थी अपने खेत में आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी के खेत ख.नं. 155 की उतरी सींव के पास से होना बता रहा है परन्तु दोनों ग्रामों के नक्शे में इस रास्ते का अंकन नहीं है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में उक्त रास्ते को बन्द करने की धमकी अप्रार्थी द्वारा दिया जाना बता रहा है परन्तु प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, चूरू को दिनांक 17.03.2017 को उक्त रास्ता अप्रार्थी द्वारा अवरूद्ध किया जाना अंकित किया है परन्तु यदि अप्रार्थी ने प्रार्थी के रास्ते को बन्द किया था और तहसीलदार, चूरू ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। यहां यह प्रश्न उठता है कि यदि रास्ता बन्द था, तहसीलदार, चूरू ने कोई कार्यवाही नहीं की तो आज तक प्रार्थी अपने खेत में कैसे गया व उसकी फसल का क्या हुआ जो कि प्रार्थी ने स्पष्ट नहीं किया। प्रार्थी के मूल दावा में धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत रास्ते सम्बन्ध विस्तृत प्रस्ताव मय मौका रिपोर्ट तहसीलदार, चूरू से मंगवाई गई थी जिसका अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रार्थी का अपने खेत में आवागमन का रास्ता पहले कभी नहीं रहा है। प्रार्थी अपने खेत में आवागमन दूसरे रास्ते से करता रहा है। प्रार्थी ने तहसीलदार, चूरू को पेश प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई दस्तावेजी या लिखित साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उसके खेत का रास्ता अप्रार्थी ने बन्द किया हो या उसका उक्त ख.नं. 155 में से आना जाना रहा हो। प्रश्नगत ख.नं. 155 अप्रार्थी नोरंगराम की खातेदारी कृषि भूमि है तथा उसके पड़ौसी खातेदारों ने सशपथ अंकित किया है कि प्रार्थी परमानन्द अप्रार्थी नोरंगराम के खेत में से होकर अपने

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

खेत में कभी भी नहीं गया। प्रार्थी का कोई रास्ता अप्रार्थी के खेत में से ना तो पहले था तथा ना ही आज है। प्रार्थी ने यह झूठा मुकदमा पेश किया है।

पत्रावली एवं पेश दस्तोवजात के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् यह स्पष्ट परिलक्षित है कि प्रार्थी जिस ख.नं. 155 पर अस्थाई निषेधाज्ञा चाहता है वह कृषि भूमि अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में प्रतीत है। इसलिए अप्रार्थी की खातेदारी भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से उसके खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी स्पष्ट है जिससे सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष का न होकर अप्रार्थी के पक्ष में ही प्रतीत होता है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त इस प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु से सम्बन्धित न होकर मूल वाद से सम्बन्धित होने से इस प्रकरण पर सटीक रूप से लागू नहीं होता। जहां तक प्रार्थी के अपने खातेदारी खेत ख.नं. 809/627 में आने जाने के रास्ते का प्रश्न है तो इसका निर्णय तो प्रार्थी के मूल दावा में पर्याप्त साक्ष्य सबूत व सुनवाई एवं बहस के बाद गुणावगुण के आधार पर होना है न कि इस प्रकार के प्रार्थना पत्र के आधार पर। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 19.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू